डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ चुनाव – 2024

चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्याशियों के लिये सामान्य निर्देश :

1. विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के पांच पदो के लिये चुनाव सम्पन्न होगा।

2. मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को कुलसचिव द्वारा निर्गत पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

3. शारीरिक रूप से अशक्त होने की स्थिति में ही किसी मतदाता के साथ सहयोगी मतदान स्थल तक जा सकेगा। वह सहयोगी विश्वविद्यालय कर्मचारी/मतदाता नहीं होगा साथ ही उस व्यक्ति को अपने साथ आधार कार्ड लाना आवश्यक होगा। इसके लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

4. मतपत्र में नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित होंगे। यद्यपि उनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होगा।

5. चुनाव चिन्ह का आवंटन प्रत्याशियों द्वारा सुझाये गये नामों में से किया जायेगा तथा यह अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सह–सचिव पद के प्रत्याशियों को उपरोक्त पदों के क्रम में उनके नाम के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

6. एक प्रत्याशी केवल एक ही पद पर चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है।

7. अपूर्ण/त्रुटिपूण नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

8. प्रत्याशी का नामांकन एक प्रस्तावक एवं दो अनुमोदकों की संस्तुति के पश्चात ही किया जा सकेगा। नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है।

9. प्रत्याशी केवल विश्वविद्यालय परिसरों में ही प्रचार प्रसार कर सकेंगे तथा निर्धारित स्थल के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पोस्टर, बैनर लगाना चुनावी आचार संहिता के उल्लघन की परिधि में आयेगा।

10. विश्वविद्यालय परिसरों के बाहर जूलूस निकालना, सभा आयोजित करना वर्जित होगा।

11. चुनाव से सम्बन्धित सभी आधिकारिक जानकारी कुलसचिव कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय बेवसाइट पर प्रदर्शित रहेंगी।